सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 269(105 / 2023) दर्ज तिथिः— 07.08.2023

1. सुआ पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम
   जाति मेघवाल निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी
2. समू पुत्री दुर्गाराम पत्नी सालूराम
   जाति मेघवाल निवासी अजा का फांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

............................वादी

बनाम

1. भंवराराम पुत्र मांगाराम
2. चैनाराम पुत्र मांगाराम
3. आसुराम पुत्र मांगाराम
4. पोकराराम पुत्र मेहाराराम
5. पदमाराम पुत्र मेहराराम
6. जीवाराम पुत्र मेहराराम
7. घेवाराम पुत्र मेहराराम
8. सोहनलाल पुत्र मेहराराम
9. जेतीदेवी पत्नी मेहराराम
10. भगवानाराम पुत्र दर्गाराम
    जाति मेघवाल निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
11. मालू पुत्री दुर्गाराम पत्नी गणेशाराम
    जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
12. मैनेजर आर एम जी बी बैंक शाखा गुड़ामालानी
13. मैनेजर एस बी आई बैंक गुड़ामालानी
14. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..........................प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री प्रागाराम बोगराज
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—25.05.2026

1. आज यह पत्रावली दावा बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। हस्तगत वाद पत्र निणर्यन हेतु प्रकरण का सारतः सूक्ष्म विवरण इस प्रकार से हैः—
   1.1 कि आराजी खसरा संख्या 144 रकबा 4.2492 है0 एवं खसरा संख्या 174 रकबा 4.2492 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में वादीगण के पूर्वज दुर्गा पुत्र आंबा के समय की खातेदारी आराजी दर्ज रिकार्ड है।
   1.2 कि वादीगण हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 से शासित होते है। वादीगण के पिता दुर्गाराम के फौत होने पर उनके तीन पुत्र मांगा पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा एवं भगवाना पुत्र दुर्गा एवं तीन पुत्रियां सुआ पुत्री दुर्गा, मालू पुत्री दुर्गा एवं समू पुत्री दुर्गा वारिस हैं।
   1.3 कि वादीगण अपने पूर्वज दुर्गा पुत्र आंबा के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक निहित होने के कारण अधिकार रखते है। इस स्थिति में उक्त आराजी में वादीगण के पिता दुर्गा पुत्र आंबा के हिस्से में प्रत्येक वादीगण संख्या 01 से 02 का 1/18—1/18 हिस्सा कानूनन निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है—

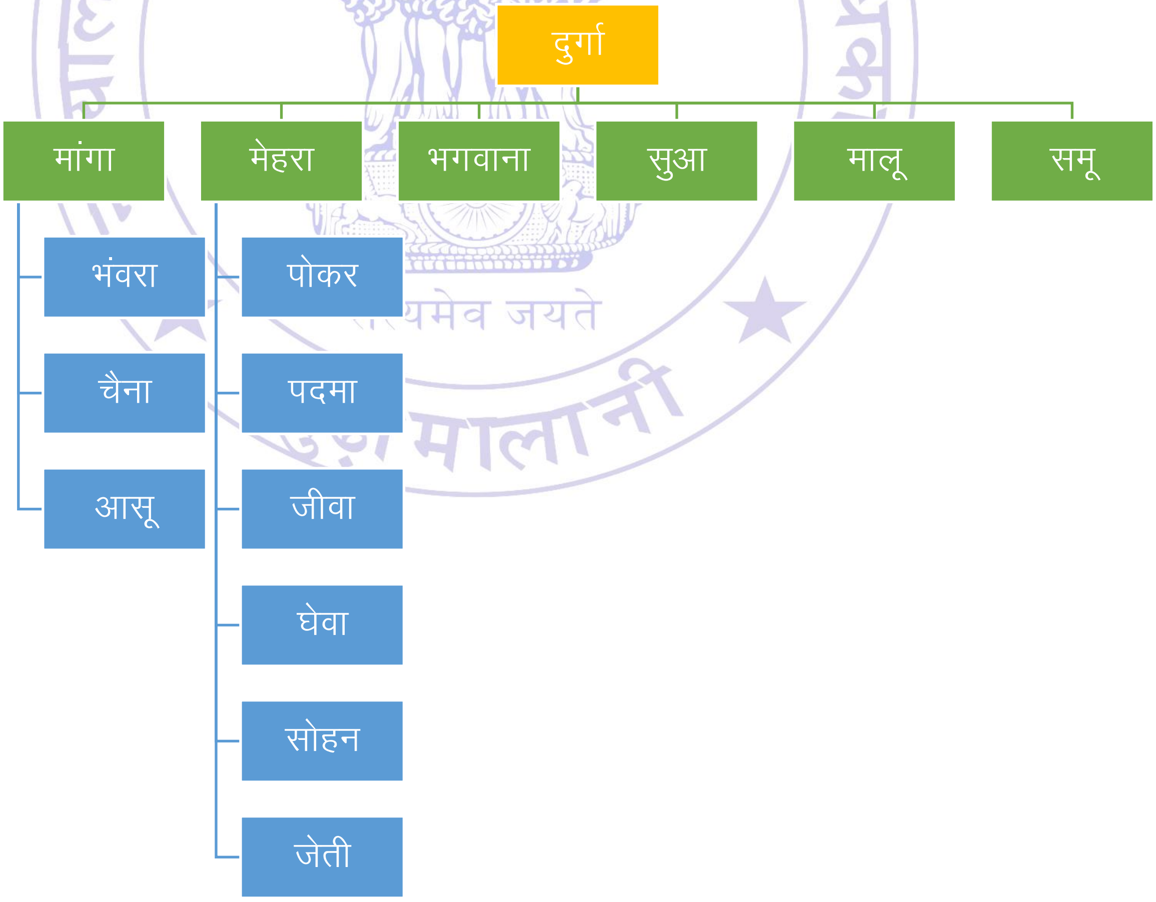

1.4 कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 144 रकबा 4.2492 है0 एवं खसरा संख्या 174 रकबा 4.2492 है0 मौजा आलपुरा में अवस्थित है। जिसमें वादी का 1/18–1/18 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का है।

1.5 कि मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान वादी के पिता दुर्गा पुत्र अंबा के नाम से जारी हुआ। दुर्गा पुत्र अंबा के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 के नाम नहीं खोला जा कर अकेले प्रतिवादी संख्या 01–03 के पिता मांगा एवं प्रतिवादी संख्या 04–09 के पिता व पति मेहरा एवं प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से खोला गया। जबकि मुतनाजा आराजी में वादी का 1/18–1/18 हिस्सा निहित था। इस प्रकार वादी 1/18–1/18 हिस्से की घोषणा करने की अधिकारी है।

1.6 कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार दुर्गा पुत्र अंबा के फौत होने पर दुर्गा पुत्र अंबा के पुत्र–पुत्रियों वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01–03 के पिता मांगा एवं प्रतिवादी संख्या 04–09 के पिता व पति मेहरा एवं प्रतिवादी संख्या 10 का बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 निहित हो गया। लेकिन वादिनी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण वादिनी को बेदखल करने की धमकिया दे रहे है तथा वादिनी के हिस्से की जमीन को बेचान करने पर उतारू है।

1.7 कि प्रतिवादी संख्या 01–09 वादिनी को अपने हिस्से की जमीन से बेदखल करने एवं मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि को बेचान नहीं करने एवं दखलअंदाजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

1.8 वादीगण को प्रतिवादीगण से वाद का खर्चा दिलवाया जावें।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01–09 असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित होने के कारण अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01–09 द्वारा जबाव प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया:–

2.1. कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत सजरा में अपने आप को सदस्या बताया गया है लेकिन वादिनी का उक्त परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वादिनी सर्वप्रथम सिविल न्यायालय से अपने को वारिस घोषित करवाए तत्पश्चात वाद पेश करे।

2.2. कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पुर्वपुरूष की है तथा वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। कि स्व0 दुर्गाराम के तीन पुत्र मांगा, मेहरा एवं भगवाना थे। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 दुर्गाराम के फौतगी नामांतरकरण को फैसल करते समय भी इन्हीं तीन पुत्रों को स्व0 दुर्गाराम का विधिक वारिस माना है।

2.3. कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01–10 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करते हुए अलग–अलग खसरे कायम करवाकर मौके पर निर्बाध

रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। साथ ही मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त तथ्य वादीनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों से भी साबित होने से वादीनी का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है।

2.4. कि वादीनीगण स्व0 दुर्गाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान नहीं है। इस संबंध में स्व0 दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण संख्या 304 पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है।

2.5. कि वादीनीगण द्वारा अपने दावे में यह स्वीकारोक्ति की है कि प्रतिवादी संख्या 01—10 द्वारा मुतनाजा आराजी का विभाजन करवा लिया है तथा स्व0 दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण तस्दीक होने के संबंध में भी वादीनीगण को कोई जानकारी नहीं है।

2.6. कि वादिनी दुर्गा पुत्र अंबा की विधिक वारिसान नहीं होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी को कब्जे से बेदखल करने का विवाद ही पैदा नहीं होता है। वादिनी द्वारा वाद मनगढ़त तथ्यों पर पेश किया हुआ होने के कारण वाद खारिज किया जावे।

2.7. वादी को उक्त दावा लाने का कोई कारण उत्पन्न नही होने के कारण वादीगण का दावा काबिल—ए—खारिज है।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः—

1. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/18—1/18 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

............................वादीगण

2. आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/18—1/18 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादवर्णित अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

............................वादी

3. आया वादी के दुर्गाराम की वारिश नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

............................प्रतिवादी संख्या 01—09

4. आया मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

............................प्रतिवादी संख्या 01—09

5. आया वादीगण को दुर्गाराम का वारिश घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होकर हाजा न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

............................प्रतिवादी संख्या 01—09

6. आया वादी को उक्त दावा लाने का वादहेतुक नहीं होने व दावा मियाद बाहर होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

............................प्रतिवादी संख्या 01—09

7. अन्य दादरसी

..............उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त मौजा आलपुरा सम्वंत 2012–2031	प्रदर्श–01
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त	प्रदर्श–02
नामांतरकरण	नामांतरकरण संख्या 276	प्रदर्श–03
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त सम्वंत 2068–2071	प्रदर्श–04
–	पी–501 नामांतरकरण की प्रतिलिपि	प्रदर्श–05
–	जाति प्रमाण पत्र सुआ देवी	प्रदर्श–06

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सुआदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम	मेघवाल	आलपुरा	पी0डब्ल्यू–1
किशनाराम पुत्र रूपाराम	जटिया	आलपुरा	पी0डब्ल्यू–2
जोधाराम पुत्र प्रागाराम	मेघवाल	गादेवी	पी0डब्ल्यू–3

6. प्रकरण में सुआदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम पी.डब्ल्यू.–01, किशनाराम पुत्र रूपाराम पी.डब्ल्यू–02 एवं जोधाराम पुत्र प्रागाराम पी.डब्ल्यू–3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

6.1. कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 144 रकबा 4.2492 है0 एवं खसरा संख्या 174 रकबा 4.2492 है0 मौजा आलपुरा में अवस्थित है। जिसमें वादी का 1/18–1/18 हिस्सा एवं शेष प्रतिवादीगण का है।

6.2. कि मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान वादी के पिता दुर्गा पुत्र अंबा के नाम से जारी हुआ। दुर्गा पुत्र अंबा के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 के नाम नहीं खोला जा कर अकेले प्रतिवादी संख्या 01–03 के पिता मांगा एवं प्रतिवादी संख्या 04–09 के पिता व पति मेहरा एवं प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से खोला गया। जबकि मुतनाजा आराजी में वादी का 1/18–1/18 हिस्सा निहित था। इस प्रकार वादी 1/18–1/18 हिस्से की घोषणा करने की अधिकारी है।

6.3. कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–40 के अनुसार दुर्गा पुत्र अंबा के फौत होने पर दुर्गा पुत्र अंबा के पुत्र–पुत्रियों वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01–03 के पिता मांगा एवं प्रतिवादी संख्या 04–09 के पिता व पति मेहरा एवं प्रतिवादी संख्या 10 का बहिस्सा बराबर 1/6–1/6 निहित हो गया। लेकिन वादिनी का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने के कारण

प्रतिवादीगण वादिनी को बेदखल करने की धमकिया दे रहे है तथा वादिनी के हिस्से की जमीन को बेचान करने पर उतारू है।

6.4. कि प्रतिवादी संख्या 01—09 वादिनी को अपने हिस्से की जमीन से बेदखल करने एवं मुतनाजा आराजी को बेचान करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि को बेचान नहीं करने एवं दखलअंदाजी नहीं करने तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6.5. इसके समर्थन में वादीगण द्वारा पैरा संख्या 04 में अंकित दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाए।

7. प्रकरण में सुआदेवी पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम पी.डब्ल्यू.—01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि यह कहना सही है कि मैं अनपढ़ हूं। मुझे हिन्दी भाषा बोलना और समझना नही आता है। मुझे खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पता नहीं है। मैने तो वकील साहब ने कहा वहां अंगुठा किया है। यह बात सही है कि मेरे पेन कार्ड बनाए 12 महिना पहले बनवाया है। यह कहना सही है कि आधार कार्ड मैने एक माह पहले प्रिंट करवाया। यह कहना सही है कि आधार कार्ड में मेरे पति का नाम प्रागाराम लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि जाति प्रमाण चलते दावे के दौरान बनाया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श दस्तावेज आज से दो दिन पूर्व पेश किये है। मेरी पति प्रागाराम की जमीन गादेवी गांव में आई हुई है। मेरी चार पुत्रियां है। यह कहना सही है कि मेरी पुत्रिया ससुराल जाते हुए 20 साल हुई है। यह कहना सही है कि हमारी पुत्रियों के मामेरा कर दिया है इसलिए प्रागाराम की जमीन में हिस्सा नहीं मांगेगी।

8. प्रकरण में किशनाराम पुत्र रूपाराम पी.डब्ल्यू.—02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मेरी जमीन माड़सा के कॉलेज के पास आई हुई है। यह कहना सही है कि माड़सा भगवानाराम से लेन—देन है व पड़ौसी है। यह कहना सही है कि पैसों की जरूरत पड़ती है तो भगवानाराम से पैसे उधार लेते हैं। यह कहना सही है कि माड़सा भगवानाराम तीन भाई है। जिसकी आपस में बनती नहीं है। मुझे मेरे खेत के खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि मुझे मेरे पड़ौसी भगवानाराम के खेत खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि मुझे बयान दिलवाने के लिये माड़सा भगवानाराम लेकर आए हैं। यह कहना गलत है कि सुआ ने मुझे आने के लिये कहा हो। यह कहना सही है कि शपथ पत्र वकील साहब ने लिखवाया है। शपथ पत्र में जमीन का विवाद है वो लिखवाया है। यह कहना सही है कि पहले शपथ पत्र लिखवाया हुआ था, बाद में खाली जगह पर मेरा नाम लिखा। यह कहना सही है कि मेरे और माड़सा भगवानाराम के भाई के बीच जमीन के विवाद को लेकर लड़ाई हुई थी। उस विवाद के कारण आज मैं बयान देने आया हूं।

9. प्रकरण में जोधाराम पुत्र प्रागाराम पी.डब्ल्यू—03 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूं। केवल साक्षर हूं। गादेवी में मेरे पिताजी के नाम की 22—23 बीघा जमीन आई हुई है। यह कहना सही है कि मेरी बहिने ससुराल जाती है। मेरी चार बहिनें हैं। यह कहना सही है

कि शपथ पत्र पहले तैयार था, खाली जगह पर मेरा नाम लिखा है। शपथ पत्र पहले कब लिखा था तारीख मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में वकील साहब ने लिखकर सुनाया था लेकिन अब मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि आज मुझे भगवानाराम साथ लेकर आया हो। अज खुद कहा कि हम खुद आए हैं।

10. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

11. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी	गवाह
पोकरराम पुत्र मेहराराम	मेघवाल	आलपुरा	डी0 डब्ल्यू–1
नरींगाराम पुत्र चुतराराम	मेघवाल	सिंधासवा चौहान	डी0 डब्ल्यू–2
जीवाराम पुत्र मेहराराम	मेघवाल	आलपुरा	डी0 डब्ल्यू–3
भंवराराम पुत्र मागाराम	मेघवाल	आलपुरा	डी0 डब्ल्यू–4

12. प्रकरण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0–01 द्वारा साक्ष्य केवल साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0 डब्ल्यू–2, नरींगाराम पुत्र चुतराराम डी0 डब्ल्यू–3, जीवाराम पुत्र मेहराराम डी0 डब्ल्यू–3 द्वारा चीफ प्रस्तुत कर कथन किया कि–

- कि कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत सजरा में अपने आप को सदस्या बताया गया है लेकिन वादिनी का उक्त परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वादिनी सर्वप्रथम सेशन न्यायालय से अपने को वारिस घोषित करवाए तत्पश्चात वाद पेश करे।
- कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पुर्वपुरूष की है तथा वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। कि स्व0 दुर्गाराम के तीन पुत्र मांगा, मेहरा एवं भगवाना थे। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 दुर्गाराम के फौतगी नामांतरकरण को फैसल करते समय भी इन्हीं तीन पुत्रों को स्व0 दुर्गाराम का विधिक वारिस माना है।
- कि मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01–10 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करते हुए अलग–अलग खसरे कायम करवाकर मौके पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। साथ ही मुतनाजा आराजी पर वादीनीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उक्त तथ्य वादीनी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों से भी साबित होने से वादीनी का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं बनता है।
- कि वादीनीगण स्व0 दुर्गाराम की प्रथम श्रेणी की वारिसान नहीं है। इस संबंध में स्व0 दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण संख्या 304 पारित करते समय ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक भूल नहीं की गई है।
- कि वादीनीगण द्वारा अपने दावे में यह स्वीकारोक्ति की है कि प्रतिवादी संख्या 01–10 द्वारा मुतनाजा आराजी का विभाजन करवा लिया है तथा

स्व0 दुर्गाराम का फौतगी नामांतरकरण तस्दीक होने के संबंध में भी वादीनीगण को कोई जानकारी नहीं है।

- कि वादिनी दुर्गा पुत्र अंबा की विधिक वारिसान नहीं होने से उक्त वादग्रस्त आराजी में वादिनी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वादिनी को कब्जे से बेदखल करने का विवाद ही पैदा नहीं होता है। वादिनी द्वारा वाद मनगढ़त तथ्यों पर पेश किया हुआ होने के कारण वाद खारिज किया जावे।
- वादी को उक्त दावा लाने का कोई कारण उत्पन्न नही होने के कारण वादीगण का दावा काबिल–ए–खारिज है।

13. प्रकरण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0–02 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में निम्न प्रकार अभिकथन किया किः–

प्रश्नः– आज आप अदालत मे क्यो आये हो?
उत्तरः–पेशी के लिये आया हूँ।
प्रश्नः– आप को कोनसी फाईल मे पेशी लेनी थी?
उत्तरः– पोकर की फाईल में।
प्रश्नः– आप जिस फाईल मे पेशी पर आये है आप उस फाईल मे पक्षकार है ?
उत्तरः– हॉ।
प्रश्नः– आप पढे– लिखे है और कितने पढे लिखे है?
उत्तरः– हॉ, पास्टग्रेजुएशन।
प्रश्नः– आप ने इस दावे मे साक्ष्य शपथ पत्र किस तारीख को पेश किया था?
उत्तरः– मुझे तारीख याद नही है।
प्रश्नः– क्या शपथ पत्र वकील साहब ने ही तैयार किया?
उत्तरः– मैने खुद ने तैयार किया।
प्रश्नः– शपथ पत्र कितने पृष्ठ का है, और कितनी जगह हस्ताक्षर है?
उत्तरः– तीन पृष्ठ का शपथ पत्र है और तीन जगह मेरे हस्ताक्षर है।
प्रश्नः– शपथ पत्र किस बात का दिया ?
उत्तरः– जमीन का हकनामा में शपथ पत्र दिया है।
प्रश्नः– जिस प्रकरण मे शपथ पत्र दिया है उस प्रकरण का नम्बर याद है?
उत्तरः– नही, अज खुद कहा कि 2023/269 है।
प्रश्नः– आप खेती करते हो?
उत्तरः– हॉ।
प्रश्नः– शपथ पत्र मे कोन–कौनसे खसरे लिखे है?
उत्तरः– खसरे सख्या 304,311,214 है।
प्रश्नः– क्या आप का इन खसरो पर कोई कब्जा कास्त नही है?
उत्तरः–नही है।
प्रश्नः– वादिनी सुआ और समु ये दोनो खातेदार दुर्गा की जाईन्दा और धर्मज संतान है?
उत्तरः– नही है।
प्रश्नः– खातेदार दुर्गा के कितनी सन्तान है?
उत्तरः– तीन सन्तान है।
प्रश्नः– दावे मे उल्लेखित खसरान कि भूमि भू प्रबन्ध के समय दुर्गा के नाम दर्ज हुई थी?
उत्तरः– हॉ हूई थी।

प्रश्नः— खातेदार दुर्गा कब फौत हुआ था?
उत्तरः— 1992 मे फौत हुआ था।
प्रश्नः— खसरे सख्या 304,311,214 इन तीनो खसरो का रकबा याद है ?
उत्तरः— हा याद है।
प्रश्नः— खसरे सख्या 304,311,214 इन तीनो खसरो का क्षेत्रफल कितना है?
उत्तरः— इन तीनो खसरो का क्षेत्रफल मै कन्फ्युज हूॅ।
प्रश्नः— दावे मे वर्णीत विवादित आराजी सहदायीकी सम्पति है?
उत्तरः— नही है।
प्रश्नः— क्या विवादित आराजी पैतृक है?
उत्तरः— पैतृक है।
प्रश्नः— पैतृक सम्पति का बेचान सवर्ण जाति के व्यक्ति को किया?
उत्तरः— नही किया।
प्रश्नः— पैतृक सम्पति जो दावे मे वर्णित है जिसमें से कुछ भूमि पे सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा है?
उत्तरः— हॉ है।
प्रश्नः— क्या यह कहना सही है कि वादिनीगण का विवादित भूमि में हित निहीत है?
उत्तरः— नही है।
प्रश्नः— यह दावा वादिनी ने कब और किस तारिख को दर्ज करवाया तारीख याद है क्या ?
उत्तरः— अभी मुझे याद नही है।
प्रश्नः— सपथ पत्र का सत्यापन आप ने किन वकील साहब के पास में करवाया?
उत्तरः— वकील साहब रामजीवनजी।
प्रश्नः— क्या यह कहना सही है कि आप का इस दावे में कोई हित नही है ?
उत्तरः— हित है।
प्रश्नः— वादिनी ने किन—किन धाराओं और कौनसे कानुन के तहत दावा दर्ज करवाया?
उत्तरः— याद नही हैं।

14. प्रकरण में नरींगाराम पुत्र चुतराराम डी0डब्ल्यू0—03 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में निम्न प्रकार अभिकथन किया कि:—
प्रश्नः—क्या आप खेती किसानी करते है?
उत्तरः—हां मैं खेती का काम करता हूं।
प्रश्नः—क्या आप अनपढ़ है?
उत्तरः—मैं अनपढ़ नहीं हू, 12वीं तक पढ़ा हुआ हूं।
प्रश्नः—क्या आप वादपत्र में वर्णित भूमि क्रय करना चाहते है?
उत्तरः—वादपत्र में वर्णित भूमि मेरे पहले से ही खरीदी हुई है।
प्रश्नः—क्या आपने विवादित भूमि का विक्रय इकरार किया है?
उत्तरः—प्रश्न मेरे समझ में नही आया।
प्रश्नः—आप आज अदालत क्यों आए है?
उत्तरः—मेरी भूमि पर कब्जा करना चाहते है।
प्रश्नः—फाइल का टाइटल व नम्बर कितना है?
उत्तरः—मुझे याद नहीं है।
प्रश्नः—विवादित आराजी कहां आई हुई है?

उत्तरः—आलपुरा।
प्रश्नः—आपका खुद का गांव कोनसा है?
उत्तरः—मेरा गांव सिंधासवा चौहान है।
प्रश्नः—विवादित आराजी में खातेदार से आपके क्या संबंध है?
उत्तरः—मेरे कोई संबंध नहीं है।
प्रश्नः—खातेदार दुर्गा के कितनी धर्मज संतान है?
उत्तरः—तीन।
प्रश्नः—क्या सभी धर्मज संताने वर्तमान में जीवित है?
उत्तरः—हां
प्रश्नः—नामान्तरकरण क्या होता है?
उत्तरः—नामान्तरकरण जो रजिस्ट्री करवाते है।
प्रश्नः—खातेदार दुर्गा का देहांत कब हुआ था?
उत्तरः— दुर्गाराम का लगभग सन 1992 में देहांत हुआ था।
प्रश्नः—क्या खातेदार दुर्गा निर्वसयीयत या वसीयती फौत हुए थे?
उत्तरः— मुझे पता नहीं।
प्रश्नः—क्या विवादित भूमि संयुक्त परिवार की कृषि आराजी है?
उत्तरः— हां।
प्रश्नः—विवादित भूमि के खसरा, रकबा याद है?
उत्तरः—खसरा व रकबा याद नहीं है।
प्रश्नः—क्या सुआदेवी, दुर्गा की जायंदा और धर्मज संतान है?
उत्तरः—जानकारी नहीं है।
प्रश्नः—सुआदेवी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में कितने पद अंकित है तथा क्या इस्तदुआ चाही है?
उत्तरः—मुझे पता नहीं
प्रश्नः—मेघा हाईवे से लगती भूमि के खसरा संख्या याद है क्या?
उत्तरः—खसरा संख्या याद नहीं है।
प्रश्नः—क्या सुआदेवी खातेदार दुर्गा की पुत्री है?
उत्तरः—मेरी जानकारी में नहीं है।
प्रश्नः—क्या विवादित भूमि का प्रतिवादी पोकरा या इनके भाईयों ने बेचान किया है?
उत्तरः—हां।
प्रश्नः—शपथ पत्र में कितनी लाईने और कितने पद शब्द अंकित है?
उत्तरः—मुझे पता नहीं है।
प्रश्नः—शपथ पत्र वकील साहब द्वारा तैयार किया आपने केवल हस्ताक्षर किये क्या यह बात सही है?
उत्तरः—मैने तैयार करवाया।
प्रश्नः—शपथ पत्र में हस्ताक्षर कितने स्थानों पर और किसने किये?
उत्तरः— तीन जगह हस्ताक्षर है और मैंने खुद किये है।
प्रश्नः—शपथ पत्र किस बात के लिए दावे में दिया गया है?
उत्तरः—मेरी भूमि एव मेरा कब्जा दो।
प्रश्नः—आपने कौनसी तारीख को साक्ष्य शपथ पेश किये थे?
उत्तरः—तारीख मुझे याद नहीं है।

15. प्रकरण में जीवाराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0–04 से वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में निम्न प्रकार अभिकथन किया कि:–

प्रश्नः– क्या विवादित भूमि सयुक्त परिवार की कृषि आराजी है क्या?
उत्तरः– पता नही है।
प्रश्नः– विवादित भूमि के खसरा व रकबा याद है क्या?
उत्तरः– नही याद है।
प्रश्नः– सुआ देवी दुर्गा की जाईन्दा और धर्मज सन्तान है?
उत्तरः– नही ।
प्रश्नः– सुआ देवी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे कितने पद अकिंत है और क्या ईस्तदुआ चाही है?
उत्तरः– याद नही है।
प्रश्नः– शपथ पत्र वकिल साहब द्वारा तैयार किया गया है आपने तो केवल हस्ताक्षर किये है कया यह बात सही है?
उत्तरः–सही बात है।
प्रश्नः– शपथ पत्र में कितने पृष्ठ है और कितने पद है?
उत्तरः– दो पेजो का शपथ पत्र है , लेकिन पद पता नही है।
प्रश्नः– आपने कौनसी तारीख को शपथ पत्र पेश किया है?
उत्तरः– तारीख याद नही है।
प्रश्नः– आप आज किसके कहने पर कोर्ट मे हाजिर हुये?
उत्तरः– किसी के कहने पर नही आया।
प्रश्नः– क्या सुआ देवी विवादित आराजी के खातेदार दुर्गा की पुत्री है?
उत्तरः– नही है।
प्रश्नः– शपथ पत्र मे कौनसे खसरे लिखे है ?
उत्तरः– पता नही ।
प्रश्नः– क्या विवादित आराजी पैतृक सम्पति है?
उत्तरः– ध्यान नही है मुझे।
प्रश्नः– दावे मे वर्णित विवादित आराजी सहददायीकी सम्पति है?
उत्तरः– पता नही ।
प्रश्नः– दावे मे वर्णित विवादित भूमि पर किसी सवर्ण व्यक्ति का कब्जा है?
उत्तरः– नही है।
प्रश्नः– विवादित भूमि हाईवे पर आई हुई है, और वादिनीगण का विवादित भूमि मे हीत नियत है क्या?
उत्तरः– पता नही है।
प्रश्नः– आप कहा तक पढे लिखे हो ?
उत्तरः– दो–तीन तक पढा हूॅ।
प्रश्नः– आपने जिस प्रकरण मे जो शपथ पत्र पेश किया है उसके प्रकरण संख्या कितने है?
उत्तरः– याद नही है।
प्रश्नः– विवादित आराजी कहा आई हुई है?
उत्तरः– आलपुरा मे आई हुई है।
प्रश्नः– विवादित आराजी किसी सवर्ण व्यक्ति को बेचान की हुई है क्या ?
उत्तरः– बेची हुई है।
प्रश्नः– आपके द्वारा शपथ पत्र पेश कोनसी फाईल मे किया है, फाईल का अनुवान याद है क्या?

उत्तरः— पता नही है।
प्रश्नः— दावे में विवादित भूमि पर किस धाराओं के तहत वाद पेश किया है?
उत्तरः— धारा याद नही है।
प्रश्नः— विवादित भूमि पैतृक सम्पति है ये विवाद क्यो उत्पन्न हुआ और किस लिये कोर्ट मे आये?
उत्तरः— ये भूमि पैतृक है, विवाद पता नही है , कोर्ट मे क्यो आये है पता नही है।

16. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपने दावे के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि स्व दुर्गा के वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 01—09 के पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 10 विधिक वारिसान होने के कारण वादीनीगण का 1/18—1/18 हिस्सा खातेदारी घोषणा की जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया कि वादिनी स्व0 दुर्गा की विधिक वारिसान नहीं होने एवं प्रतिवादी को परेशान की नियत से दावा पेश किया होने के कारण वादी का दावा खारिज किया जावे।

17. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब प्रकरण का तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में सर्वप्रथम तनकी संख्या 03 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः—

3. आया आया वादी के दुर्गाराम की वारिश नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है?

............................प्रतिवादी संख्या 01—09

18. प्रकरण में तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार वादी पर है। प्रकरण का मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी होने से वादिनी सुआ देवी एवं समु देवी, स्व0 दुर्गा की विधिक वारिसान होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के तहत 1/18—1/18 हिस्से की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने से संबंधित है।

19. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

OF THE BURDEN OF PROOF

104. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations.

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

105. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

106. Burden of proof as to particular fact.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

20. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413 / 2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम–1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है–

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the

existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."

In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....

Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:

burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

21. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां

आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

22. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

23. इस प्रकार उक्त कानूनी स्थिति के संदर्भ में प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रकरण में निहित विवाद का आधार बिन्दु यह है कि वादीनीगण दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री है अथवा नहीं। वादी के दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी, दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस है जबकि प्रतिवादी का मुख्य खण्डन है कि वादी, दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की वारिस नहीं है। इस संबंध में उक्त तथ्य को साबित करने का भार वादी पर है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने दावे के अभिवचन में उल्लेखित किया है कि दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस वादी है। यहां उल्लेखनीय है कि कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है। अतः केवल दावे के अभिवचन के आधार पर ही वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य को साबित नहीं माना जा सकता है। वादी के दावे के उक्त अभिवचन का प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावे में स्पष्ट व विशेष खण्डन किया है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्य के स्पष्ट व विशेष खण्डन की स्थिति में वादी द्वारा उक्त तथ्य को साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना और आवश्यक हो जाता है।

24. अब प्रकरण में उक्त तथ्य के संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में वादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत किया है। उक्त हलफनामे में वादी ने अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01–10 दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के वारिसान है। परंतु वादी द्वारा वादी गवाह के प्रतिपरीक्षण

में दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के वारिसान होने के संबंध में कोई अभिकथन नहीं किया है। इस प्रकार वादी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए केवल मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है कि वादी भी दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री है।

25. प्रकरण में वादी के हलफनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी है। वादी द्वारा दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार की वंशावली का विवरण दिया है, उसको प्रतिवादी ने अस्वीकार किया है। अर्थात् वादी को प्रतिवादी के परिवार के बारे में पूर्ण जानकारी होना प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में भी वादी द्वारा साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में कोई सवाल नहीं किया गया है। वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार के बारे में इतनी जानकारी नहीं होना तथा उक्त जानकारी को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन करना अपने आप में वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित नहीं करता है। इस प्रकार वादी अपने उपर आरोपित दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में असफल रही है। इससे प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है।

26. इस संबंध में प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा हलफनामा प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी दुर्गाराम के तीन पुत्रों मांगा, मेहरा व भगवाना की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 का कब्जा काश्त है। साथ ही प्रतिवादी के गवाहों के प्रतिपरीक्षण में पोकरराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0–02, नरींगाराम पुत्र चुतराराम डी0डब्ल्यू0–03 एवं जीवाराम पुत्र मेहराराम डी0डब्ल्यू0–04 द्वारा कथन किया गया है कि दुर्गाराम की तीन धर्मज संतान है एवं वादी दुर्गा की धर्मज संतान नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा अपने हलफनामे के मौखिक कथनों एवं गवाहों के प्रतिपरीक्षण में समान रूप से अभिकथन किये हैं। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी सफल रहे है। अब प्रमाणन का भार वादी पर है कि वह वादी के दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य को सकारात्मक रूप से प्रमाणित करे।

27. प्रकरण में प्रतिवादी गवाहों के प्रतिपरीक्षण में वादी को दुर्गाराम की पुत्री नहीं माने जाने के अभिकथन के संबंध में वादी द्वारा कोई और कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं किये हैं। साथ ही प्रतिवादी गवाहों से वादी के पुनः परीक्षण भी शून्य रहे हैं। इस प्रकार वादी के प्रतिवादी गवाहों द्वारा वादी को दुर्गाराम की पुत्री नहीं माने जाने के अभिकथन को वादी खण्डन करने में असफल रहे हैं। इससे प्रमाणन का भार वापस प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत हाजा अदालत में उभयपक्षकारान के मध्य एक अन्य प्रकरण संख्या 2018/00181 बउनवान सुआ बनाम पोकराराम विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में दुर्गाराम पुत्र अंबाराम का सजरा निम्न प्रकार हैः–

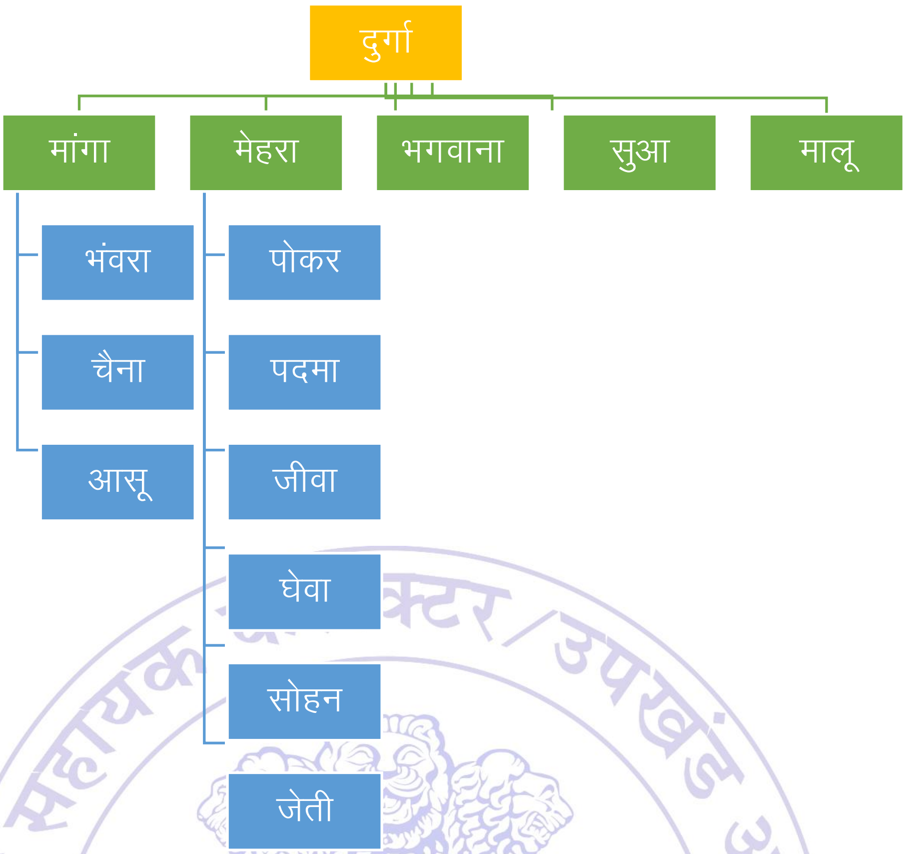

28. इस प्रकार दुर्गाराम के तीन पुत्र व दो पुत्रियां वारिस अभिकथित करते हुए दावा प्रस्तुत किया है। जबकि हस्तगत दावा में वादी द्वारा स्व0 दुर्गाराम के तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियां अभिकथित करते हुए दावा प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दावा में स्व0 दुर्गाराम की विधिक संतानों को लेकर विरोधाभास स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी को स्व0 दुर्गाराम की विधिक संतानों की सम्पूर्ण जानकारी नहीं है। इस प्रकार वादी स्वयं के स्व0 दुर्गाराम की विधिक वारिसान होने के कथन को स्पष्ट रूप से माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वादी को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार के बारे में प्राप्त जानकारी का प्रतिवादी के द्वारा अस्वीकार किया जाना या स्पष्ट खण्डन करना अपने आप में वादीगण को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के परिवार के सदस्य होने के तथ्य को साबित नहीं करता है। इस प्रकार केवल मौखिक साक्ष्य के माध्यम से वादी अपने उपर आरोपित दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य के प्रमाणन के भार को निर्वहन करने में असफल रही है। इससे अब प्रमाणन का भार प्रतिवादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में प्रतिवादी गवाह के प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि वादी दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार को निर्वहन करने में प्रतिवादी सफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार वादी के उपर स्थानांतरित होता है। इस प्रकार वादीगण अपने उपर आरोपित दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की पुत्री होने के तथ्य को उक्तानुसार साबित करने में असफल रही है। इस प्रकार वादीगण को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की ही पुत्री माना

जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

29. प्रकरण में अब तनकी संख्या 01 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैः–

1. *उक्त वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।*

..............वादी

30. अब प्रकरण में तनकी संख्या 01 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत वादीनी की पैतृक आराजी में स्व0 दुर्गाराम की विधिक वारिस होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित है। इस संबंध में तनकी संख्या 03 के वादी के विरूद्ध फैसल होने से तनकी संख्या 01 पर पृथक से विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः तनकी संख्या 01 भी वादी के विरूद्ध फैसल की जाती है।

31. अब तनकी संख्या 07 के संबंध में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 निम्न प्रकार हैः–

7. *आया मुतनाजा आराजी के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–06 के संशोधन से पूर्व विभाजन होने तथा विभाजित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 13 के पंजीबद्ध बयनामा दिनांक 06.11.2020 के जरिये सदभावी क्रेता होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है?*

...........................प्रतिवादी संख्या 13

32. प्रकरण में तनकी संख्या 07 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 13 के उपर है। उक्त तनकी संख्या 07 प्रतिवादी संख्या 01–09 द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किये गये मुतनाजा आराजी में से 04 बीघा आराजी के अंतरण को चुनौती देने से संबंधित हैं। प्रकरण में तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण आवश्यक है। उक्त अनुतोष के अवलोकन से अनुतोष में समाहित अनेक पक्ष व बिंदु सामने आते है। अतः उक्त अनुतोष का निर्णयन किये जाने से पूर्व अनुतोष में समाहित अनेक निम्न पक्ष व बिंदुओं का निर्धारण किया जाना अपेक्षित हैः–

1. *वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–09 का हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होना।*
2. *मुतनाजा आराजी का पैतृक संपति होना।*
3. *वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–09 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के तहत सहदायक होना।*
4. *वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01–09 का पैतृक आराजी में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1955 की धारा–06 के*

तहत सहदायक होने के आधार पर अधिकार निहित होना।

5. *प्रतिवादी संख्या 01—09 का अपने परिवार के कर्ता/मुखिया होना।*
6. *प्रतिवादी संख्या 01—09 द्वारा बेचान के विधिक आवश्यकताओं के लिए किया गया होना।*

33. प्रकरण में प्रथम अनुतोष के विश्लेषण से पूर्व हिन्दू उतराधिकार से संबंधित संकल्पनाओं व कानून के निम्न बिंदुओं का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हैः—

1. *हिन्दू संयुक्त परिवार एवं संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
2. *पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
3. *सहदायिकी एवं सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा।*
4. *सहदायिकी संपति में सहदायक के अधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
5. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की संकल्पना/अवधारणा।*
6. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा।*
7. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा।*
8. *सहदायिकी संपति के अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा।*
9. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण किये जाने पर क्रेता के कर्तव्य की संकल्पना/अवधारणा।*
10. *हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता/मुखिया की सहदायिकी संपति के अंतरण के विरूद्ध सहदायक को उपलब्ध विकल्प/उपचार की संकल्पना/अवधारणा।*

34. प्रकरण में सर्वप्रथम हिन्दू विधि के तहत सर्वप्रथम हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार द्वारा धारित संपति की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी परिवार के सदस्य का एक पुरूष पूर्वज होना आवश्यक है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में सभी पुरूष, उनकी पत्नियां, माताएं एवं अविवाहित पुत्री शामिल होती है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में शामिल अविवाहित पुत्री का विवाह होते ही वह पति के संयुक्त हिन्दू परिवार का सदस्य बनकर शामिल हो जाती है तथा पिता के संयुक्त हिन्दू परिवार से अलग हो जाती है।*

4. *हिन्दू विधि में बिना संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति के भी संयुक्त हिन्दू परिवार अस्तित्व में आ सकता है।*
5. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के आधार पर एकता में बंधे रहते है।*
6. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य एक दुसरे से रिश्ते के साथ–साथ भोजन एवं पूजा में भी एकता में बंधे रहते है।*
7. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार विधि द्वारा सृजित ईकाई है। किन्ही सदस्यों के द्वारा आपस में संयुक्त हिन्दू परिवार का सृजन नहीं किया जा सकता है।*
8. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में गोद द्वारा नये सदस्य जोड़े जा सकते है।*
9. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी पुरूष सदस्य के नहीं होने की स्थिति में परिवार के अंत को रोकने हेतु गोद द्वारा नये सदस्य जोड़कर परिवार को आगे बढाया जा सकता है।*
10. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति पर एक का कब्जा सभी का कब्जा माना जाता है। इस प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार में संपति पर कब्जे के आधार पर एकता रहती है।*
11. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति में से कोई सदस्य कभी भी विभाजन करवाकर पृथक हो सकता है। इस प्रकार सदस्य के पृथक होने पर वह संपति संयुक्त हिन्दू परिवार की नहीं रहती है।*
12. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। जिनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है परंतु छोटी–छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई अपना प्रबंधन पृथक करती हैं।*

35. प्रकरण में हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार एवं हिन्दू संयुक्त परिवार संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति के पश्चात हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01–09 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादीगण द्वारा सजरा प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01–09 के हिन्दू होने के कारण सभी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 से शासित होते है। प्रकरण में अन्य प्रतिवादी द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–09 के हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होने के बारे में खंडन करते हुए वादीगण को प्रतिवादीगण के परिवार का सदस्य नहीं माना है। इस संबंध में विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 01 एवं 03 में किया जा चुका है।

36. अब प्रकरण में सहदायिकी संपति को समझने के लिए सर्वप्रथम पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। अतः प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की

स्थिति को समझना अपरिहार्य है। हिन्दू विधि के तहत पैतृक संपति की वृहत संकल्पना को समझने के पश्चात हिन्दू विधि के पैतृक संपति के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *किसी हिन्दू को अपने तृतीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता के पिता (परदादा) की संपति, अपने पिता व पिता के पिता (दादा) की मृत्यु पिता के पिता के पिता (परदादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त प्रथम परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
2. *किसी हिन्दू को अपने द्वितीय पीढी के पूर्वज पुरूष पिता के पिता (दादा) की संपति, अपने पिता की मृत्यु पिता के पिता (दादा) की मृत्यु से पहले होने की स्थिति में, विरासत में सीधे प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त द्वितीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है।*
3. *किसी हिन्दू को अपने प्रथम पीढी के पूर्वज पुरूष पिता की संपति विरासत में प्राप्त होने पर प्राप्त संपति उस हिन्दू की पैतृक संपति होती है। उपरोक्त तृतीय परिस्थिति में स्पष्ट किया गया है। इस स्थिति में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने के पश्चात धारा—8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति नहीं मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है। अगर इस स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।*
4. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति को उस हिन्दू द्वारा अपने पुत्र, अपने पुत्र के पुत्र (पौत्र), अपने पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) होने की स्थिति में आवश्यक रूप से धारण करना अनिवार्य है।*
5. *किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू का पुत्र, पुत्र के पुत्र (पौत्र), पुत्र के पुत्र के पुत्र (प्रपौत्र) जन्म से ही अधिकार निहित रखता है।*
6. *हिन्दू उतराधिकार (संशोधन) अधिनियम—2005 द्वारा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—06 में किये गये संशोधन के पश्चात पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहदायक माना गया है। इस आधार पर किसी हिन्दू की प्राप्त पैतृक संपति में उस हिन्दू की पुत्री भी जन्म से ही अधिकार निहित रखती है।*

37. प्रकरण में विवादित आराजी के सहदायिकी संपति होने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। यहां उल्लेखनीय है कि हिन्दू विधि की नवीनतम स्थिति के अनुसार उक्त पृथक संपति को सहदायकों/हिन्दू परिवार के सदस्यों द्वारा सहदायकी संपति के बंडल में समर्पित किये जाने की स्थिति में ही सहदायिकी

संपति/पैतृक संपति माना जाना विधिसंगत है। प्रकरण में इस तनकी पर विश्लेषण से पूर्व हिन्दू संयुक्त परिवार तथा सहदायिकी की इकाई तथा संबंधित ईकाई द्वारा धारित हिन्दू संयुक्त परिवार संपति व सहदायिकी संपति की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू विधि के तहत हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्त्ता की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई हैः—

1. *अगर पिता जीवित है तो पिता हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
2. *अगर पिता जीवित नहीं है तो परिवार का वरिष्ठ सदस्य हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता माना जाता है।*
3. *एक वृहत हिन्दू संयुक्त परिवार ईकाई में अनेक छोटी—छोटी हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई समाहित हो सकती है। इन लघुतर हिन्दू संयुक्त परिवार की लघुतर ईकाई के पृथक—पृथक कर्ता हो सकते है।*
4. *हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता पर अन्य सदस्यों से विशिष्ट स्थिति रखता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता को संयुक्त परिवार के सदस्यों से सलाह मशविरा कर संयुक्त परिवार के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है।*

38. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः—

1. *हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों के अतिरिक्त हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति का अंतरण नहीं कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः—*
    - *आपातकालेः— विधिक आवश्यकतार्थ।*
    - *कुटुम्बार्थेः— परिवार के हितार्थ।*
    - *धर्मार्थेः— पवित्र उद्देश्य हेतु।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत किये गए अंतरण से सभी सहदायक बाध्य होते है।*

39. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका को समझने के पश्चात की हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता के नाबालिक सहदायक के संबंध में प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को

समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति का अंतरण कर सकता है।*
2. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*
3. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता की अनुपस्थिति में संयुक्त हिन्दू परिवार के मुखिया/संरक्षक द्वारा हिन्दू विधि द्वारा अनुमत उक्त परिस्थितियों के अंतर्गत हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति के किये गए अंतरण से सभी सहदायक, चाहे सहदायक बालिग हो या नाबालिग, से निरपेक्ष रहते हुए बाध्य होते है।*

40. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार की संपति में कर्ता के अधिकार की अवधारणा से प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस को माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में वादीगण के द्वारा भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस के अपने पारिवारिक इकाई के कर्ता खानदान नहीं होने के संबंध में कोई खंडन नहीं करते हुए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए है। इस आधार पर भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस को कर्ता माना जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रकरण में निर्विवादित है कि भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा व मांगा पुत्र दुर्गा की लघुत्तर पारिवारिक इकाई का मुखिया क्रमशः भगवाना पुत्र दुर्गा, मेहरा पुत्र दुर्गा के वारिस व मांगा पुत्र दुर्गा के वारिस ही परिवार का कर्त्ता धर्ता है।

41. प्रकरण में हिन्दू संयुक्त परिवार के मुखिया/कर्ता की भूमिका, प्राधिकार एवं संपति के अंतरण की शक्तियों की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–

1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू*

विधि द्वारा अनुमत निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत अंतरण कर सकता हैः–

- *आपातकालेः– विधिक आवश्यकतार्थ।*
- *कुटुम्बार्थेः– परिवार के हितार्थ।*
- *धर्मार्थः– पवित्र उद्देश्य हेतु।*

42. प्रकरण में सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के विधिक आवश्यकता के तहत परिवार के लाभ हेतु संपति का बेचान द्वारा के अंतरण की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–
    1. *हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा आपातकालेः–विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण कर सकता है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता का आचरण विवेकपूर्ण पुरूष के समान होना आवश्यक है।*
    4. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु अंतरण एवं संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का युक्तियुक्त होना आवश्यक है।*

43. प्रकरण सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा अंतरण तथा अंतरण हेतु उत्पन्न विधिक आवश्यकता की संकल्पना/अवधारणा को समझने के पश्चात सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व के बारे में समझना आवश्यक है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के प्राधिकार के तहत सहदायक द्वारा सहदायिकी संपति में अपने हिस्से के बेचान द्वारा विधिक आवश्यकता हेतु किये गये अंतरण के संबंध में खरीददार के उपर अंतरण की विधिक आवश्यकता को साबित करने की विधिक दायित्व की संकल्पना/अवधारणा के निम्न आवश्यक अवयव हैः–
    1. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है।*
    2. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की उत्पन्न परिस्थितियां के बारे में क्रेता*

को अंतरण से पूर्व वास्तविक रूप से जानकारी करने का विधिक दायित्व होता है।

3. *सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने को साबित करने का विधिक भार/दायित्व क्रेता के उपर होता है।*
4. *सहदायिकी संपति को पूर्ववर्ती ऋण हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*
5. *सहदायिकी संपति को परिवार या सहदायिकी संपति के लाभ या निवेश हेतु विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने पर सहदायिकी संपति के अंतरण से प्राप्त प्रतिफल राशि का अंतरणकर्ता द्वारा उपयोग के बारे में जानकारी करने का विधिक दायित्व क्रेता का होता है।*

44. इस संबंध में हिन्दू विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सहदायिकी संपति को विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण किये जाने हेतु सहदायिकी संपति पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होनी आवश्यक है। हिन्दू विधि में संयुक्त हिन्दू परिवार का कर्ता बिना सहदायकों की सहमति के सहदायिकी संपति को हिन्दू विधि द्वारा अनुमत परिस्थितियों यथा *आपातकालेः—विधिक आवश्यकतार्थ* अंतरण कर सकता है। हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के सहदायिकी संपति के प्रबंधन/अंतरण के पश्चात ही कर्ता द्वारा अंतरण के विरूद्ध अन्य सहदायक को कर्ता द्वारा अंतरण को विधिक आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अंतरण किए जाने के आधार पर ही कर्ता द्वारा किए गए अंतरण को निष्फल करवाने का विकल्प/उपचार उपलब्ध है।

45. प्रकरण में हिन्दू विधि की उक्त स्पष्ट स्थिति के आलोक में प्रकरण में उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 01—09 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया अंतरण अपने हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में निष्पादित किया गया है। अब प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01—09 द्वारा मुतनाजा आराजी का पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 को किया गया अंतरण का विधिक आवश्यकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के बारे में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

46. इस संबंध में प्रदर्श डी—01 एवं 02 पंजीबद्ध बयनामा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01—09 ने अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी पैतृक आराजी को बेचने का निर्णय लिया। विक्रेता प्रतिवादी संख्या 01—09 ने अपने परिवार की आवश्यकताओं हेतु रूपयों की जरूरत होने के लिए संपति का

बेचान किए जाने बाबत् प्रदर्श डी–01 एवं 02 पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 में स्पष्ट अभिकथन किया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 को उक्त संपति के अंतरण हेतु विधिक आवश्कता की जानकारी होना प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व की गई जानकारी के संबंध में किये गये उक्त कार्यकरण से प्रतीत होता है कि मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में जानकारी कर अपने उपर आरोपित दायित्व को पूर्ण किया है। इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर अपरिहार्य, बाध्यकारी दबाव व संकट की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बारे में क्रेता प्रतिवादी संख्या 13 द्वारा संपति के अंतरण में विधिक आवश्यकता निहित होने के बारे में अपने उपर आरोपित दायित्व का निर्वहन किया जाना साबित करने में सफल रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने उपर आरोपित तथ्य के प्रमाणन के भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में सफल रहा है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वादी के उपर स्थानांतरित होता है। इस संबंध में वादी के उपर आरोपित प्रमाणन का भार (Onus of Proof) को निर्वहन करने में प्रतिवादी असफल रहे है। इससे प्रमाणन का भार (Onus of Proof) वापस वादी के उपर स्थानांतरित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01–09 द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 13 को पंजीकृत बयनामा दिनांक 06.11.2020 द्वारा मुतनाजा आराजी का परिवार की विधिक आवश्यकतार्थ अंतरण को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01–09 पर बाध्यकारी होने से उक्त अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।

47. प्रकरण में अब तनकी संख्या 05 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 05 निम्न प्रकार हैः–

> 5. आया *वादीगण को दुर्गाराम का वारिश घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को होकर हाजा न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।*
>
> .... प्रतिवादी संख्या 13

48. प्रकरण में उक्त तनकी सहदायिकी संपत्ति में किये गये अंतरण को आरंभ से शुन्य, अवैध व निष्प्रभावी घोषित करवाने से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 के वादीगण के विरूद्ध फैसल होने के कारण पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में तनकी संख्या 07 के संबंध में उक्त विश्लेषण के पश्चात निष्कर्षतः वादी का दावा प्रतिवादी संख्या 01–05 द्वारा विधिक आवश्यकता के लिए प्रतिवादी संख्या 13 को बेचान करने के कारण बेचान दिनांक 06.11.2020 के हद तक दावा वादी काबिल–ए–खारिज है। साथ ही तनकी संख्या 07 के संबंध में विधि की सुस्पष्ट स्थिति है कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा के मुख्य अनुतोष के आनुषांगिक अनुतोष के रूप में किसी अंतरण के पंजीबद्ध दस्तावेज को आरंभ से शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। इस आधार पर प्रतिवादी संख्या 01–09 उक्त तनकी संख्या 05 को साबित करने में असफल रहे है। उक्तानुसार तनकी संख्या 05 प्रतिवादी संख्या 01–09 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

49. प्रकरण में अब तनकी संख्या 06 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 06 निम्न प्रकार हैः–

6. *आया वादी को उक्त दावा लाने का वादहेतुक नहीं होने व दावा म्याद बाहर होने से दावा काबिल–ए–खारिज है।*

..........................प्रतिवादी संख्या 01–09

50. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 06 वादहेतुक व म्याद के बिन्दु से संबंधित है। इस संबंध में हस्तगत वाद में तनकी संख्या 01 के स्वीकार होने से यह स्पष्ट है कि उक्त दावा प्रस्तुत करने के संबंध में वादहेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। इस हेतु वादहेतुक उत्पन्न होने के बिन्दु पर पृथक से विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01–09 के उक्त दावा म्याद बाहर होने के अभिकथन के संबंध में वादीनीगण द्वारा उक्त वाद अपनी पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकारों की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें वादीनीगण के पूर्वज दुर्गा पुत्र अंबा के फौतगी नामांतरकरण में वादीनीगण का नाम नहीं लिखा गया था। इस संबंध में किसी खातेदार के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण नहीं खोले जाने पर उक्त विधिक वारिसान द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88 के तहत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपनी पैतृक सम्पत्ति में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की तृतीय अनुसूची के अनुसार धारा–88 के दावे हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं की गई है। अतः उक्त प्रावधानानुसार उक्त अनुतोष म्याद से बाधित नहीं होता है। अतएव वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत दावा म्याद के बिन्दु से बाधित होता प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01–09 तनकी संख्या 02 को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या–02 प्रतिवादी संख्या–01–09 के विरूद्ध फैसल की जाती है।

51. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः–

2. *आया वादीगण मुतनाजा आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के तहत पैतृक आराजी होकर दुर्गाराम की वारिश होने के आधार पर प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक वादवर्णित अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।*

..........................वादी

52. प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि तनकी संख्या 02 स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार होने एवं उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 02 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

53. प्रकरण में अब तनकी संख्या 04 पर विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण मे तनकी संख्या 04 निम्न प्रकार हैः–

4. आया *मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।*

..............................प्रतिवादी संख्या 01–09

54. प्रकरण में उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01–09 पर है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध फैसल होने से उक्त तनकी पर पृथक से विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। फिर भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना कब्जे के अनुतोष के केवल घोषणा का दावा पोषणीय नहीं है। प्रकरण में वादीगण का मुतनाजा आराजी पर कब्जा स्पष्ट नहीं है। हस्तगत दावा में वादी द्वारा घोषणा के अनुतोष के साथ कब्जे का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस कारण भी बिना कब्जे के अनुतोष के वादी का दावा पोषणीय नहीं है। उक्त कानूनी तनकी संख्या 04 को प्रतिवादी साबित करने में सफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

55. निष्कर्षतः प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–09 अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की अनुसूची के वर्ग–01 के वारिसों के मध्य संपत्ति के न्यागमन होने की स्थिति में दुर्गाराम पुत्र अंबाराम के प्रथम श्रेणी की वारिस वादीगण को दुर्गाराम पुत्र अंबाराम का उक्त संपत्ति में हिस्सा वादी के उपर न्यागत होना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः स्व0 दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की सम्पत्ति में वादीगण के हित व अधिकार निहित नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय के विनम्र मत में वादीगण द्वारा वादीगण को स्व0 दुर्गाराम पुत्र अंबाराम की विधिक वारिस होने के अभिकथन को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक नामंजूर किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 25.05.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/269(105/2023) दर्ज तिथिः– 07.08.2023

1. सुआ पुत्री दुर्गाराम पत्नी प्रागाराम
   जाति मेघवाल निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी
2. समू पुत्री दुर्गाराम पत्नी सालूराम
   जाति मेघवाल निवासी अजा का फांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

............................वादी

बनाम

1. भंवराराम पुत्र मांगाराम
2. चैनाराम पुत्र मांगाराम
3. आसुराम पुत्र मांगाराम
4. पोकराराम पुत्र मेहाराराम
5. पदमाराम पुत्र मेहराराम
6. जीवाराम पुत्र मेहराराम
7. घेवाराम पुत्र मेहराराम
8. सोहनलाल पुत्र मेहराराम
9. जेतीदेवी पत्नी मेहराराम
10. भगवानाराम पुत्र दर्गाराम
    जाति मेघवाल निवासी आलपुरा तहसील गुड़ामालानी
11. मालू पुत्री दुर्गाराम पत्नी गणेशाराम
    जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
12. मैनेजर आर एम जी बी बैंक शाखा गुड़ामालानी
13. मैनेजर एस बी आई बैंक गुड़ामालानी
14. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..........................प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री प्रागाराम बोगराज
प्रतिवादीः– श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत् इस्तक्करारहक नामंजूर किया जाता है।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी